प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' पैंतालीस '

प्रश्न सं. [क. 1875]

[22/3/2018]

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र. कि पू भु-04 भोपाल-03-05.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 जनवरी 2005—माघ 4, शक 1926

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2005

क्र. एफ. 14-13-2004-ए-सोलह.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कर्मकारों के निम्नलिखित प्रवर्गों को भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार के रूप में सम्मिलित करती है, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	कर्मकारों के प्रवर्ग (2)
1	पत्थर काटने वाले या पत्थर तोड़ने वाले या पत्थर पीसने वाले
2	राज (मैसन) या ईंटों पर रद्दा करने वाले
3	बढ़ई (कारपेंटर)
4	पुताई करने वाले (पेंटर)
5	फिटर या बार बेंडर
6	सड़क के पाईप मरम्मत कार्य में लगे प्लम्बर
7	इलेक्ट्रिशियन
8	मैकेनिक
9	कुएं खोदने वाले
10	वेल्डिंग करने वाले
11	मुख्य मजदूर
12	मजदूर

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
श्रम विभाग (शाखा ए)
मंत्रालय, भोपाल

(1)	(2)
13	स्प्रेमेन या मिक्सरमेन (सड़क बनाने में लगे)
14	लकड़ी या पत्थर पैक करने वाले
15	कुएं में गाद (तलछट) हटाने वाले गोताखोर
16	हथौड़ा चलाने वाले
17	छप्पर डालने वाले
18	मिस्त्री
19	लौहार
20	लकड़ी चीरने वाले
21	कॉलकर
22	मिश्रण करने वाले (कांक्रीट मिक्सर चलाने वाले सहित)
23	पंप आपरेटर
24	मिक्सर चलाने वाले
25	रोलर चालक
26	बड़े यांत्रिकी कार्य जैसे भारी मशीनरी, पुल के कार्य आदि में लगे खलासी
27	चौकीदार
28	मोजाईक पालिस करने वाले
29	सुरंग कर्मकार
30	संगमरमर/कड़प्पा पत्थर कर्मकार
31	सड़क कर्मकार
32	चट्टान तोड़ने वाले एवं खनि कर्मकार
33	संनिर्माण कार्य के बड़े पिट्टी का कार्य करने वाले
34	चूना बनाने की क्रिया में लगा कर्मकार
35	बाढ़ कटाव रोधी कार्य में लगे कर्मकार
36	बांध, पुल, सड़क या किसी भवन संनिर्माण संक्रिया में नियोजन में लगे कोई अन्य प्रवर्ग के कर्मकार
37	कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) के अधीन ईंट बनाने में लगे कर्मकार से भिन्न कर्मकार
38	पंडाल संनिर्माण में लगे कर्मकार

No. F. 14-13-04-XVI-A.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (1) of Section 2 of the Building and other Construction workers (Regulation of Employment and conditions of Services) Act, 1996 (No. 27 of 1996), the State Government hereby include the following categories of the workers specified in column of the table below as building and other Constuction worker namely :—

TABLE

Serial Number (1)	Category of workers (2)
1	Stone cutter or stone breaker or stone crusher
2	Mason or Brick Layor
3	Carpenter
4	Painter
5	Fitter or bar bender
6	Plumber for road pipe work

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
श्रम विभाग (...)
मंत्रालय, भोपाल

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 444] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर 2013—भाद्र 29, शक 1935

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2013

क्र. आर.एफ. 14-5-2013-ए-सोलह.—भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित कार्यों को भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों के रूप में सम्मिलित करती है, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य (2)
39	सीमेन्ट पोल का संनिर्माण
40	खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के अधीन आने वाले रेत एवं मिट्टी के खनन तथा परिवहन से भिन्न कार्य.
41	कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन सम्मिलित ईंट भट्टा, खपरा (रूफ टाइल्स), फ्लाय एश तथा टाइल्स से भिन्न कार्य.
42	किसी भवन तथा अन्य संनिर्माण कार्य में लगा हुआ कोई धातु शिल्पी कार्य
43	किसी भवन तथा अन्य संनिर्माण कार्य जैसे छतों की थेचिंग तथा बांस (बम्बू) टाइल्स आदि तैयार करने के रोजगार में लगा हुआ कोई बांस शिल्पी.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश
श्रम विभाग
मंत्रालय, भोपाल